<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103005052016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—505/16</u> संस्थापित दिनांक—23.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	_					
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।						
				3	भिय	गोजन
विरुद्ध						
01—भगवान सिंह पुत्र	जयराम	सिंह	लोधी	आयु	40	साल
निवासी ग्राम हिरावल						
					अ	ारोपी
राज्य द्वारा	:— श्री	सुदीप	शर्मा,	ए.डी.	पी.अ	गे.।
आरोपी द्वारा	:- श्री	सुमन	अधिव	क्ता i		

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 01.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी

रामकली ने दिनांक 22.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी, घर के किवाड लटके थे। उसका पित गनेश घर पर नहीं था, मछली पकड़ने गया था। रात करीब 11 बजे हिरावल का पप्पू लोधी घर में रात में घुस आया और बुरी नीयत से उसकी छाती दबा दी। वह चिल्लाई तो उसके बच्चे जाग गए तथा उसकी देवरानी जशोदा बाई आ गई। इन सबको देखकर आरोपी वहां से भाग गया। फिरयादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 502/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 456, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.10.16 को समय 23.00 बजे फरियादिया का घर ग्राम सकवारा चंदेरी पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के पश्चात् फरियादी रामकली बाई के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृह अतिचार कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया रामकली बाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से छाती दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रामकली, अ.सा. 02 नगेश उर्फ गनेश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07-अभियोजन साक्षी 01 रामकली ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने गाली गलौच कर दी थी जिस पर से उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बूरी नीयत से उसका हाथ पकडा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी रात्रि में उसके ध ार में घुसा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा. 02 नगेश उर्फ गनेश ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी का उसकी पत्नी से वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी पत्नी का बुरी नीयत से हाथ पकडा था। उक्त साक्षी ने भी पुलिस कथन देने से इंकार किया है। अभियोजन द्व ारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादिया के ध ार में घुसा था। एक भी साक्षी ने यह भी कथन नहीं किया है कि आरोपी द्वारा फरियादिया का हाथ बुरी नीयत से पकडा गया था।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456 एवं 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)